कार्यालय–प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांकः–मे0का0दे0 / जे0आर0 / 2022–23 / दिनांक 31.05.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांकः–मे0का0दे0 / विज्ञप्ति / सूचना / 2022–23 / 53, दिनांक 11.04.2022 के विज्ञप्ति द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त हुए जूनियर रेजिडेन्ट (वेतनमान रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400) के लिए दिनांक 13.04.2022 को सम्पन्न वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) एवं उसके पूर्व दिनांक 06.04.2022 के वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) में कमेटी की संस्तुति एवं प्रतिक्षारत सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को चयनित किया जाता है।

क्र0सं0	जूनियर रेजिडेन्ट का नाम	पिता / पति का नाम	श्रेणी	मोबाईल नम्बर
01	डा0 सुमीत कुमार राय	श्री उपेन्द्र कुमार राय	सामान्य	9839392162
02	डा0 तरूण कुमार दूबे	श्री अयोध्या दूबे	सामान्य	9795296840
03	डा0 राकेश सिंह	श्री बालकिशुन सिंह	ओ0बी0सी0	6387765006

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित हो कर निम्न शर्तो के अधीन कार्यभार ग्रहण करना सुचिश्चित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के 05 कार्य दिवस के भीतर संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. जूनियर रेजिडेन्ट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा और न तो कही प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा।
03. जूनियर रेजिडेन्ट महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग / कोविड–19 / आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्यो में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजक न पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
05. यह नियुक्ति सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा त्रैमासिक समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
06. किसी भी जूनियर रेजिडेन्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 माह पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्याग–पत्र दिये जाने की अनुमति नही होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जूनियर रेजिडेन्ट के एक माह का वेतन आहरित नही किया जायेगा।
07. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नही होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।
08. कार्यस्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है। परन्तु बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
09. किसी भी प्रकार का हडताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक / मे0का0दे0 / जे0आर0 / 2022–23 / 262 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. सम्बंधित विभागाध्यक्ष।
06. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
07. सूचना, पट, कालेज।
08. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।